

राजस्थान – सरकार

शिक्षा – विभाग

निदेशालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक: एफ1(175)स्था/निकाशि/2011/ 370 दिनांक: 02 सितम्बर, 2011

कार्यालय आदेश

इस निदेशालय के आदेश क्रमांक 218 दिनांक 29.07.2011 के सन्दर्भ में सहायक निदेशक, कालेज शिक्षा, राजस्थान के क्षेत्रीय कार्यालय में दिनांक 05.08.11 तक कार्यभार ग्रहण करने वाले शिक्षकों को इस कार्यालय के आदेश क्रमांक एफ1(175)स्था/निकाशि/ 2011/4281 दिनांक 04.08.11 के द्वारा दिनांक 06.08.11 को राजकीय महाविद्यालयों में चार सप्ताह/आगामी आदेशों तक राज्य सेवा में अभिमुखीकरण कार्यक्रम हेतु उनके सम्मुख दर्शाये गये महाविद्यालयों में उपस्थिति देने हेतु निर्देशित किया गया था, की अवधि में 15 दिवस की वृद्धि की जाती है एवं तदनुसार इनका अभिमुखीकरण 20 सितम्बर को समाप्त होगी।

(सुबीर कुमार)
निदेशक

क्रमांक: एफ1(175)स्था/निकाशि/2011/ 370 दिनांक: 02 सितम्बर, 2011

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, निदेशक, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
7. शासन उप सचिव, उच्च शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
8. मुख्य लेखाधिकारी, निदेशालय कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
9. संयुक्त निदेशक (स्थापना), निदेशालय कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
10. संयुक्त निदेशक (अनुदान), निदेशालय कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
11. लेखाधिकारी, शिक्षा (ग्रुप-5) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
12. सम्बन्धित सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, कालेज शिक्षा, राजस्थान।
13. सम्बन्धित प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, राजस्थान।
14. सम्बन्धित व्याख्याता।
15. रक्षित पत्रावली।

(प्रियंका जमल)
संयुक्त निदेशक